फा0 सं0 एन-11011/28/2017-एचएफए-IV-यूडी/ई-9034371

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एचएफए-IV अनुभाग)

******

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 12 जनवरी, 2018

सेवा में

1. प्रधान सचिव/सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, संलग्न सूची के अनुसार)
2. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आवास और शहरी विकास निगम लि0 हडको भवन, कोर-7ए, भारतीय पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003
3. प्रबंध निदेशक और अध्यक्षक एवं कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर-5ए, भारतीय पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के दिशानिर्देशों में संशोधनों के बारे में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश मिला है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन दिशानिर्देशों में कतिपय संशोधन किए गए हैं। संशोधनों की एक तालिका अनुलग्नक में संलग्न है।

2. राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उनकी ओर से संशोधनों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु नोट करें।

3. कृपया इन संशोधनों को आगे केन्द्रीय नोडल अभिकरणों अर्थात् हडको और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं को भी सूचित करें।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(एस.के. वेलियांथन)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं0 011-23061206

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. ग्रामीण विकास विभाग (श्री आनन्द प्रकाश पांडे, निदेशक) कृषि भवन नई दिल्ली-110001

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

सचिव के प्रधान निजी सचिव (हुआ)/संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक के निजी सचिव (एचएफए/निदेशक (एचएफए-I/V, उप सचिव (एचएफए-III/IV)

सुश्री शिखा, एमआईएस, पीएमयू, एचएफए मिशन निदेशालय, नई दिल्ली। अनुरोध है कि इन संशोधनों को मंत्रालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।

अनुलग्नक

पैरा सं0	वर्तमान पैराग्राफ/उप-पैराग्राफ	संशोधित पैराग्राफ/ उप-पैराग्राफ
पैरा 2.1	जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और तदुपरांत अधिसूचित/ सांविधिक कस्बे इस मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र होंगे । नोट: इस मिशन में, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास सांविधिक कस्बों के संबंध में यथा अधिसूचित नियोजन क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्रों को हटाकर) और विकास प्राधिकरणों द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे नियोजन क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को हटाकर) को शामिल करने की स्वतंत्रता होगी ।	जनणगना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और तदुपरांत अधिसूचित कस्बे सहित अधिसूचित नियोजन / विकास क्षेत्र इस मिशन में शामिल किए जाने के पात्र होंगे । औद्योगिक विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / राज्य विधायिका के अधीन किसी ऐसे प्राधिकरण, जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्यों को सौंपा गया हे, के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित नियोजन . /विकास क्षेत्र के भीतर आ रहे क्षेत्रों को भी पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत कवरेज के लिए शामिल किया जाएगा । नोट 1 : पीएमएवाई (जी) के लिए ग्रामीण विकास और पीएमएवाई(यू) के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विभाग के मध्य एमआईएस लिंकेज का कार्य लाभार्थियों के द्विरावृत्ति से बचने के लिए. किया जाएगा । नोट 2: पीएमएवाई (जी) की स्थायी प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को पीएमएवाई (जी) अथवा पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत आवास का चयन करने की छूट होगी। नोट 3: सभी वर्तमान और भावी ग्रामीण स्कीमों के लाभों से उपर्युक्त परिभाषा द्वारा कवर किए गए किसी लाभार्थी को केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा

		कि उसने पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत आवास का लाभ उठाया है।
5.12	दिनांक 31.12.2017 तक,सीएनए, पीएलआई की ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बजाय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पाक्षिक आधार पर सीएलएसएस के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची भेजेंगे। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस मिशन के अन्य तीन घटकों के तहत लाभार्थियों को तय करते समय, इस सूची पर विचार करेंगे ताकि इस मिशन के अंतर्गत किसी लाभार्थी को एक से अधिक लाभ स्वीकृत नहीं हो सके।	दिनांक 30.06.2018 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एनओसी प्राप्त करने के बजाय, सीएनए, पीएलआई की ओर से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पाक्षिक आधार पर सीएलएसएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की सूची भेजेंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन के अन्य तीन घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्णय करते समय, इस सूची पर विचार करेंगे ताकि मिशन के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को एक से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सके।